**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 926**

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

**मिशन शक्ति का कार्यान्वयन**

**926. श्री बलभद्र माझीः**
**श्री काली चरण सिंहः**
**डॉ. हेमंत विष्णु सवराः**
**श्रीमती रचना बनर्जीः**
**श्री प्रदीप पुरोहितः**
**श्री विजय कुमार दूबेः**
**श्री दुलू महतोः**
**श्री अनन्त नायकः**
**श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः**
**श्री तापिर गावः**
**श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेलः**
**श्री राजकुमार चाहरः**
**डॉ. राजकुमार सांगवानः**
**श्री सतीश कुमार गौतमः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी), महिला हेल्पलाइन और संबंधित सहायता सेवाओं के कामकाज सहित मिशन शक्ति के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और, यदि हां, तो ओडिशा के नबरंगपुर और क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के बागपत और महाराष्ट्र के पालघर जिले में वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओएससी और महिला हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता प्राप्त महिला लाभार्थियों, विशेष रूप से उक्त क्षेत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या मंत्रालय ने बाल संरक्षण योजनाओं के अंतर्गत बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों, पुनर्वास सेवाओं और समन्वय तंत्र से संबंधित उपायों की समीक्षा की है, यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों के आकांक्षी/जनजातीय जिलों में उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जारी की गई निधि और उठाए गए विशेष कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या परामर्शदाताओं और सहायक कर्मचारियों के पदों के रिक्त होने से सेवा प्रदायगी प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त क्षेत्रों में हिंसा और संकट का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों के लिए सहायता सेवाओं की पहुंच बढ़ाने/उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क) से (ख): सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, पुनर्वास तथा सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए उनके जीवन-चक्र के प्रत्येक चरण में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि वे तीव्र गति से होने वाले तथा सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। 'विमेन लेड डेवलवमेंट' की यह परिकल्पना वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे उपायों को सुदृढ़ बनाना है। मिशन शक्ति के अंतर्गत दो उपघटक हैं, अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए 'संबल' तथा देशभर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'सामर्थ्य'।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), मिशन शक्ति के अंतर्गत 'संबल' उपघटक का एक घटक है। इसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित तथा संकटग्रस्त महिलाओं को, चाहे वे निजी अथवा सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा का शिकार हुई हों, एक ही स्थान पर समेकित एवं त्वरित सहायता एवं समर्थन उपलब्ध कराना है। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से आवश्यकता अनुसार महिलाओं को चिकित्सीय सहायता, विधिक सहायता एवं परामर्श, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता तथा मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। योजना के प्रारंभ, अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक देशभर में 985 वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा चुके हैं तथा देश में 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। इनमें ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मलकानगिरि, कोरापुट तथा नबरंगपुर जिलों तथा क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के क्योंझर एवं मयूरभंज जिलों की महिलाएँ भी सम्मिलित हैं। वर्तमान में ओडिशा राज्य में 35 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं, जिनमें मलकानगिरि, कोरापुट, नबरंगपुर तथा क्योंझर में एक-एक तथा मयूरभंज में दो वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 124 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं, जिनमें बागपत में एक वन स्टॉप सेंटर संचालित है। महाराष्ट्र राज्य में 68 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं, जिनमें पालघर जिले में दो वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं।

महिला हेल्पलाइन (181) महिलाओं को आपातकालीन तथा गैर-आपातकालीन दोनों प्रकार की परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने हेतु चौबीसों घंटे निःशुल्क दूरभाष सेवा उपलब्ध कराती है। योजना के प्रारंभ से 30 जून, 2026 तक देशभर में 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। इनमें ओडिशा राज्य में 87,675 से अधिक, उत्तर प्रदेश राज्य में 10.34 लाख तथा महाराष्ट्र राज्य में 4.44 लाख से अधिक महिलाओं को महिला हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। गत तीन वर्षों के दौरान वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाली महिला लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक-I तथा महिला हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाली महिला लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक -II में दी गई है।

योजना के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की प्रगति की निगरानी तथा उद्देश्यों की प्राप्ति एवं महिलाओं तथा बच्चों को सेवाओं के प्रभावी प्रदायगी की स्थिति की समीक्षा के लिए कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा वर्ष में एक बार राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की निरंतर समीक्षा करते हैं।

मंत्रालय की योजनाओं, जिनमें मिशन शक्ति व्यापक योजना भी सम्मिलित है, का वर्ष 2020 तथा पुनः वर्ष 2025 में नीति आयोग के माध्यम से दो तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराए गए। इन अध्ययनों में योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता तथा स्थायित्व को संतोषजनक पाया गया।

**(ग):** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के प्रशासन हेतु नोडल मंत्रालय है। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा तथा कल्याण सुनिश्चित करने संबंधी प्रमुख विधि है, जिसका कार्यान्वयन सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर वैधानिक संरचनाओं का प्रावधान किया गया है, जिनमें राज्य बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समितियाँ, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) तथा जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें महाराष्ट्र राज्य भी सम्मिलित है, में केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य पूर्व-निर्धारित लागत साझेदारी के आधार पर 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत संस्थागत देखरेख तथा गैर-संस्थागत देखरेख दोनों प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल तथा परामर्श आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख सेवाओं के अंतर्गत प्रायोजन, पालक देखभाल, दत्तक ग्रहण तथा पश्चात् देखभाल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए आपातकालीन पहुँच सेवाओं का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत बाल हेल्पलाइन 1098 (24x7x365) संचालित की जाती है, जिसे गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।

इस मंत्रालय ने राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श तथा समन्वय से एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल विकसित किया है। लापता/मिले हुए बच्चों के लिए ट्रैकचाइल्ड पोर्टल तथा लापता/देखे गए बच्चों के लिए खोया-पाया एप्लीकेशन को इस एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। ट्रैकचाइल्ड पोर्टल को कई संबंधित पक्षों जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आदि विभिन्न हितधारकों के सहयोग एवं सहभागिता से लागू किया

गया है। इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसे गृह मंत्रालय की अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे संबंधित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस लापता बच्चों का पता लगाने और औनका मिलान करने कै लिए ट्रैकचाइल्ड के डेटाबेस के साथ लापता बच्चों की एफआईआर का मिलान कर सकती है। इसके अलावा, खोया-पाया मॉड्यूल के माध्यम से कोई भी नागरिक किसी लापता अथवा देखे गए बच्चे के संबंध में सूचना उपलब्ध करा सकता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या तथा जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | जारी की गई निधि (करोड़ रुपये में) | संस्थागत देखभाल के अंतर्गत लाभार्थी | गैर-संस्थागत देखभाल के अंतर्गत लाभार्थी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-26 | 1078.10 | 80511 | 170598 |
| 2 | 2024-25 | 1405.53 | 76882 | 170895 |
| 3 | 2023-24 | 1390.80 | 62592 | 121861 |

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र, भारत के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) में निहित बाल अधिकारों के दृष्टिकोण के अनुरूप हों। आयोग द्वारा तस्करी के शिकार बच्चों की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास तथा पुनःएकीकरण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पहल के रूप में "बाल तस्करी से आज़ादी" अभियान का आयोजन किया जा रहा है।

अभियान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-

(i) अभियान के तीन चरणों के अंतर्गत क्रमशः 75, 100 तथा 200 सीमावर्ती एवं उनसे सटे जिलों को सम्मिलित किया गया है।

(ii) यह अभियान जिला स्तर पर आयोजित जागरूकता-सह-संवेदनशीलता कार्यशालाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस, मानव तस्करी निरोधक इकाइयाँ (एएचटीयू), बाल कल्याण समितियाँ (सीडब्ल्यूसी), जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ

(डीसीपीयू), श्रम एवं शिक्षा विभाग, रेलवे प्राधिकरण, गैर-सरकारी संगठन तथा पंचायती राज संस्थाएँ सहभागी होती हैं।

(iii) बच्चों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को मानव तस्करी के संकेतकों, सुरक्षित प्रवासन तथा सूचना देने की व्यवस्था के संबंध में जागरूक करने के लिए स्कूल आधारित जागरूकता गतिविधियों तथा सामुदायिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय प्राधिकरणों एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में घर-घर जाकर जन-जागरूकता गतिविधियाँ भी संचालित की जाती हैं।

बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी नए आपराधिक कानूनों, विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न विधिक प्रावधान किए गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी कार्रवाई के संबंध में समय-समय पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विभिन्न परामर्श (एडवाइजरी) भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की मानव तस्करी के विरुद्ध कानून प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न पहल एवं उपाय किए गए हैं। इनमें प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी निरोधक इकाई (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट–एएचटीयू) की स्थापना एक प्रमुख पहल है। मौजूदा मानव तस्करी निरोधक इकाइयों (एएचटीयू) को सुदृढ़ बनाने तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में नई इकाइयों की स्थापना के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) तथा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। मानव तस्करी निरोधक इकाइयां (एएचटीयू) मानव तस्करी की रोकथाम एवं उससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए गठित एकीकृत कार्यबल (इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स) हैं, जिनमें पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राज्यों के अन्य संबंधित विभागों के प्रशिक्षित एवं संवेदनशील अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है।

केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ) के अंतर्गत गृह मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अधिसूचित प्रचलित पीड़ित मुआवजा योजनाओं को सहयोग एवं पूरक सहायता प्रदान करने तथा विभिन्न  अपराधों, विशेष रूप से बलात्कार, एसिड अटैक, बच्चों के विरुद्ध अपराध, मानव तस्करी आदि जैसे लैंगिक अपराधों के पीड़ितों को प्रभावी मुआवजा प्रदान करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में कुल 200 करोड़ रुपये जारी किए गए।

बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय द्वारा की गई अन्य पहलें निम्नलिखित हैं:-

(i) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर का एक संचार मंच – अपराध बहु-एजेंसी केंद्र (क्रि-मैक) की स्थापना की गई है, जो मानव तस्करी के मामलों सहित महत्त्वपूर्ण अपराधों से संबंधित सूचनाओं का देशभर में वास्तविक समय के आधार पर प्रसार सुनिश्चित करता है तथा पुलिस अधिकारियों के मध्य अंतर्राज्यीय समन्वय को सुगम बनाता है।

(ii) गृह मंत्रालय की पहल पर मानव तस्करी अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएचटीओ) अनुरक्षित किया जाता है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मानव तस्करों के विवरण, जैसे अपराध संबंधी इतिहास, व्यक्तिगत जानकारी आदि की खोज एवं सत्यापन में सुविधा प्राप्त होती है। यह डेटाबेस ऐसे अपराधों की रोकथाम एवं उनका पता लगाने में सहायक है।

(iii) अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस): राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों एवं अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के संकलन तथा आदान-प्रदान के लिए एक समान मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में सीसीटीएनएस परियोजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सभी पुलिस थानों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों को एक समान डिजिटल मंच से जोड़ा गया है, जिससे अपराधों एवं अपराधियों से संबंधित सूचनाओं का संकलन एवं उन्हें साझा करना संभव हो सका है। यह आपराधिक अन्वेषण की समयबद्धता एवं दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ अपराध विश्लेषण एवं अनुसंधान के लिए भी उपयोगी है।

(iv) लैंगिक अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ): यह देशभर में लैंगिक अपराधियों की पहचान, अनुवीक्षण एवं अन्वेषण को सुगम बनाता है, जिससे महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध तथा हिंसा में कमी लाने में सहायता मिलती है।

(v) लैंगिक अपराधों के लिए अन्वेषण ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ): यह एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक प्रणाली है, जिसके माध्यम से आपराधिक कानूनों के अनुरूप लैंगिक अपराधों के मामलों में समयबद्ध अन्वेषण की निगरानी एवं अनुवीक्षण किया जाता है।

(vi) आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस): संकट की स्थिति में एकल आपातकालीन नंबर (112) के माध्यम से घटनास्थल पर क्षेत्रीय संसाधनों की कंप्यूटर-सहायता प्राप्त प्रेषण पर आधारित तैनाती की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। यह प्रणाली 36 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए "112 इंडिया मोबाइल ऐप" भी प्रारंभ की गई है, जिसमें संकट की स्थिति में निकटतम स्वयंसेवकों, पूर्व-पंजीकृत आपातकालीन संपर्कों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को त्वरित

आपातकालीन संकेत भेजने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे शीघ्र सहायता सुनिश्चित की जा सके।

(vii) साइबर अपराध: सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक एवं समन्वित ढंग से निपटने हेतु कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए एक समुचित रूपरेखा एवं तंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) भी प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से आम नागरिक सभी प्रकार के साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल में विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, "महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना" के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।

(घ) एवं (ङ): मिशन शक्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है तथा योजना के समग्र कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। मिशन शक्ति के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार योजना के अंतर्गत मानव संसाधनों की नियुक्ति/संविदा पर नियोजन के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर लाभार्थियों के लिए बढ़ती मांग एवं दृश्यता में वृद्धि तथा समयबद्ध सहायता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

****

**अनुलग्नक- I**

**मिशन शक्ति के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 926 के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक।**

गत तीन वर्षों के दौरान वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाली महिला लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

| **क्र.सं.** | **राज्य / संघ राज्य क्षेत्र** | **2023-24** | **2024-2025** | **2025-26** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 133 | 160 | 207 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 2993 | 3134 | 4911 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 293 | 467 | 517 |
| 4 | असम | 5714 | 7612 | 9171 |
| 5 | बिहार | 7376 | 8453 | 8548 |
| 6 | चंडीगढ़ | 329 | 424 | 551 |
| 7 | छत्तीसगढ | 5889 | 6099 | 11455 |
| 8 | डीएनएचडीडी | 90 | 186 | 344 |
| 9 | दिल्ली | 6945 | 11785 | 17084 |
| 10 | गोवा | 611 | 377 | 266 |
| 11 | गुजरात | 7158 | 7123 | 8057 |
| 12 | हरियाणा | 7932 | 12435 | 10646 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 1007 | 1916 | 1615 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 2374 | 3605 | 4785 |
| 15 | झारखंड | 1683 | 1476 | 3897 |
| 16 | कर्नाटक | 6997 | 8678 | 9340 |
| 17 | केरलम | 4137 | 3983 | 4362 |
| 18 | लद्दाख | 17 | 34 | 68 |
| 19 | लक्षद्वीप* | - | - | - |
| 20 | मध्य प्रदेश | 19868 | 25410 | 37829 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | महाराष्ट्र | 9894 | 7282 | 8843 |
| 22 | मणिपुर | 411 | 401 | 616 |
| 23 | मेघालय | 771 | 1104 | 1109 |
| 24 | मिजोरम | 366 | 1292 | 1489 |
| 25 | नागालैंड | 186 | 278 | 311 |
| 26 | ओडिशा | 7480 | 7074 | 8907 |
| 27 | पुदुच्चेरी | 36 | 62 | 233 |
| 28 | पंजाब | 3315 | 5063 | 8305 |
| 29 | राजस्थान | 6591 | 8092 | 8934 |
| 30 | सिक्किम | 367 | 534 | 637 |
| 31 | तमिलनाडु | 23661 | 39271 | 48314 |
| 32 | तेलंगाना | 11674 | 11705 | 13156 |
| 33 | त्रिपुरा | 465 | 344 | 857 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 33774 | 37360 | 52278 |
| 35 | उत्तराखंड | 578 | 2150 | 6806 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 2163 | 3541 | 5784 |
| **कुल** | | **1,83,278** | **2,28,910** | **3,00,232** |

* लक्षद्वीप में महिलाओं को ईआरएसएस-112 के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

**अनुलग्नक - II**

**मिशन शक्ति के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 926 के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक।**

गत तीन वर्षों के दौरान महिला हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाली महिला लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

| **क्र.सं** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2023-24** | **2024-25** | **2025-26** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 25 | 71 | 835 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1585 | 1650 | 9376 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 233 | 274 | 296 |
| 4 | असम | 8674 | 13057 | 15630 |
| 5 | बिहार | 2556 | 61479 | 31647 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1699 | 7801 | 7485 |
| 7 | छत्तीसगढ | 10309 | 10395 | 14897 |
| 8 | दादरा और नागरा हवेली और दमन और दीव | 180 | 960 | 1732 |
| 9 | दिल्ली | 544070 | 330852 | 76916 |
| 10 | गोवा | 374 | 955 | 881 |
| 11 | गुजरात | 183795 | 208000 | 234192 |
| 12 | हरियाणा | 2227 | 5324 | 5598 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 1198 | 1925 | 6614 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 1061 | 4171 | 28215 |
| 15 | झारखंड | 20917 | 27416 | 23239 |
| 16 | कर्नाटक | 604 | 3332 | 60027 |
| 17 | केरलम | 18061 | 12595 | 33056 |
| 18 | लद्दाख | 41 | 142 | 271 |
| 19 | लक्षद्वीप* | - | - | - |
| 20 | मध्य प्रदेश | 17385 | 103334 | 151952 |
| 21 | महाराष्ट्र | 4682 | 182324 | 168431 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | मणिपुर | 269 | 95 | 520 |
| 23 | मेघालय | 317 | 1231 | 998 |
| 24 | मिजोरम | 3050 | 4584 | 1933 |
| 25 | नागालैंड | 67 | 152 | 504 |
| 26 | ओडिशा | 9207 | 5581 | 18807 |
| 27 | पुदुच्चेरी | 33 | 825 | 1734 |
| 28 | पंजाब | 39771 | 52871 | 83538 |
| 29 | राजस्थान | 9670 | 9976 | 20405 |
| 30 | सिक्किम | 140 | 128 | 379 |
| 31 | तमिलनाडु | 40838 | 37227 | 73208 |
| 32 | तेलंगाना | 9627 | 3862 | 21722 |
| 33 | त्रिपुरा | 110 | 478 | 1247 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 61360 | 87915 | 119156 |
| 35 | उत्तराखंड | 23094 | 27253 | 14301 |
| **कुल** | | **10,17,229** | **12,08,235** | **12,70,871** |

* लक्षद्वीप में महिलाओं को ईआरएसएस-112 के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

****